Camp Bag

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001

No. 576/EXIT/2012/SDR Dated: 12th January, 2012

To

The Chief Electoral Officers of
1. Manipur
2. Punjab,
3. Uttarakhand
4. Uttar Pradesh
5. Goa

Subject: General elections to the Legislative Assemblies, 2012 - Exit Poll – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the Commission's Notification dated 12th January, 2011 with the request that this may be published in an extraordinary issue of the gazette of the state and a copy thereof may be sent to the Commission for record.

This may be brought to the notice of all concerned including news bureaus, media houses, radio and television channels etc. and should also be published in prominent local newspapers.

Yours faithfully,

(N.T.BHUTIA)
UNDER SECRETARY

To be published in the
State Gazette of Manipur,
Punjab, Uttarkhand,
Uttar Pradesh & Goa

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001

No. 576/EXIT/2012/SDR

Dated: 12th January, 2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sub-section(1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provisions of clause (b) of sub-section(2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 7.00 A.M. on 28-01-2012, i.e., the first day of poll in Manipur and 5.30P.M on 03-03-2012, i.e., the last day of the poll in Goa and Uttar Pradesh as the period during which conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General elections to the Legislative Assemblies of **Manipur, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Goa,** would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in every phase.

By order,

(ASHISH CHAKRABORTY)
SECRETARY

BÉEèम्प बेग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 576/एक्जिट/2012/एस.डी.आर. दिनांकः 12 जनवरी 2012

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. मणिपुर
2. पंजाब
3. उत्तराखण्ड
4. उत्तर प्रदेश
5. गोवा

विषयः– विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2012 – एक्जिट पोल के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 12 जनवरी, 2012 की अधिसूचना को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए आयोग को भेज दी जाए ।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउसों, रेडियो एवं टेलीविजन चैनलों आदि सहित सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाए तथा इसे प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव

मणिपुर, पंजाब,
उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश,
और गोवा राज्यों के राजपत्र
में प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 576/एक्जिट/2012/एस.डी.आर. दिनांक : 12 जनवरी, 2012

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप–धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उप–धारा (2) के खण्ड(ख) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्द्वारा मणिपुर में दिनांक 28.1.2012 अर्थात् मतदान के प्रथम दिन के पूर्वाह्न 07.00 बजे से तथा गोवा और उत्तर प्रदेश में दिनांक 3.3.2012 अर्थात् मतदान के अंतिम दिन के अपराह्न 05.30 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में, अधिसूचित करता है, जिसके दौरान मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और गोवा विधान सभाओं में घोषित किए गए साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी मामले में किसी प्रकार का निर्गम मत सर्वेक्षण करवाना या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार करना निषिद्व होगा ।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण या किसी अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित, निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर, प्रत्येक चरण के मतदान के समाप्त होने के लिए निर्धारित किए गए समय से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक लगा दी जाएगी ।

आदेश से,

(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव